



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष नं०- 0135-2662021, फ़ैक्स नं०- 0135-2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वेब: <http://uic.uk.gov.in>

संख्या : 10535 /उ.सू.आ./2025-26

दिनांक : 19/09/25

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.12.2025 को श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण उनको आवंटित विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण विभागों के सम्मुख कालम 03 में अंकित पीठ के द्वारा किया जाएगा -

क्रम	विभाग का नाम	पीठ
1.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं रेशम विभाग, प्रावधिक शिक्षा, पर्यटन,	मुख्य सूचना आयुक्त
2.	वन, ऊर्जा, श्रम एवं सेवायोजन, समाज कल्याण	श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, राज्य सूचना आयुक्त
3.	उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन एवं मत्स्य	श्री कुशला नन्द, राज्य सूचना आयुक्त

उपरोक्तानुसार आवंटित विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में लम्बित द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा यथावत की जाएगी।

अपरिहार्य कारणवश राज्य सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने/कार्यालय में उपस्थित न होने पर, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों की सुविधा व उनके श्रम व समय के सदुपयोग के दृष्टिगत उस तिथि पर संबंधित पीठ में सुनवाई हेतु नियत वादों को सचिव/उपसचिव के द्वारा अन्य पीठों में नियत वादों की संख्या के अनुरूप सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लागू की जाती है। उक्त आदेश दिनांक 01.11.2025 से प्रभावी होगी।

Digitally signed by

RADHA RATURI

Date: 18-09-2025

13:51:02 (राधा रतूड़ी)

मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक : 19/09/25

संख्या : 10535 /उ.सू.आ./2025-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त, को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ
2. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ
3. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाईल।

Digitally signed by

RAZA ABBAS

Date: 18-09-2025

15:58:49 (राजा अब्बास)

सचिव



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष नं०- 0135-2662021, फ़ैक्स नं०- 0135-2662180

ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: <http://uic.uk.gov.in>

संख्या : 236

/उ.सू.आ./ 2025-26

दिनांक 24.04.25

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के मध्य पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 151/उ०सू०आ०/2025-26 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा किये गये कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न विभाग और उनसे सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण उनके सम्मुख कालम 03 में अंकित पीठ के द्वारा किया जाएगा -

क्रम	विभाग का नाम	पीठ
1.	कृषि एवं कृषक कल्याण, परिवहन	मुख्य सूचना आयुक्त
2.	चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं आयुष शिक्षा	श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त
3.	पेयजल, सतर्कता	श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, राज्य सूचना आयुक्त
4.	आबकारी	श्री कुशलानन्द, राज्य सूचना आयुक्त

उपरोक्तानुसार आवंटित विभागों से संबंधित part heardवादों की सुनवाई संबंधित पीठ के द्वारा ही की जाएगी।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 25.04.2025 से प्रभावी होगी।

(राधा रतूड़ी)

मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 24.04.25

संख्या : 236

/उ.सू.आ./ 2025-26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
4. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. गार्ड फाईल।

(रज़ा अब्बास)
सचिव



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008

दूरभाष नं०- 0135-2682021, फैक्स नं०- 0135-2682180

ईमेल : socy-ulc@gov.in वेब : <http://ulc.uk.gov.in>

संख्या : 157

/उ.सू.आ./2025-26

दिनांक : 15.04.2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

1. श्री कुशला नन्द, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

शहरी विकास	गृह	सिंचाई
डेयरी विकास	चिकित्सा शिक्षा	संस्कृति एवं अभिलेखागार
सैनिक कल्याण	खेल	लघु सिंचाई
युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल		

श्री कुशला नन्द उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

2. श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

ग्राम्य विकास	लोक निर्माण विभाग	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
कृषि	परिवहन	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण
गोपन	प्रोटोकाल	विज्ञान प्रौद्योगिकी

श्री देवेन्द्र कुमार आर्य उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

3. श्री दलीप सिंह कुँवर, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

राजस्व	आवास	सहकारिता
नागरिक उड्डयन	धर्मस्व	राज्य पुनर्गठन
जलागम प्रबंधन	सूचना	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

Ne

श्री दलीप सिंह कुँवर उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

4. श्री योगेश भट्ट, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा	वन	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण
आबकारी	श्रम एवं सेवायोजन	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम
प्राविधिक शिक्षा	पर्यटन	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.
ऊर्जा	समाज कल्याण	पशुपालन एवं मत्स्य

श्री योगेश भट्ट उपरोक्त सभी विभागों से सम्बन्धित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में भी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे।

5. मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा निम्नलिखित विभागों व अन्य ऐसे विभाग जिनका किसी को आवंटन नहीं हुआ है तथा उनसे संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलें तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा :

विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	वित्त	उद्योग
सामान्य प्रशासन	न्याय	कार्मिक
पेयजल	विधान सभा	उच्च न्यायालय
सचिवालय प्रशासन	आपदा प्रबंधन	निर्वाचन
नियोजन	राजभवन	मुख्यमंत्री कार्यालय
राज्य सम्पत्ति	सूचना प्रौद्योगिकी	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा
सतर्कता		

श्री योगेश भट्ट और श्री दलीप सिंह कुँवर, राज्य सूचना आयुक्त, को पूर्व में आवंटित विभाग से संबंधित part heard वादों की सुनवाई संबंधित के द्वारा की जाएगी। अन्य part heard वादों की सुनवाई उपरोक्तानुसार आवंटित विभागों के अनुसार संबंधित पीठ के द्वारा ही जाएगी।

अपरिहार्य कारणवश मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के अवकाश पर होने/कार्यालय में उपस्थित न होने पर, दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों की सुविधा व उनके श्रम व समय के सदुपयोग के दृष्टिगत उस तिथि पर संबंधित पीठ में सुनवाई हेतु नियत वादों को सचिव/उपसचिव के द्वारा अन्य पीठों में नियत वादों की संख्या के अनुरूप सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 16.04.2025 से प्रभावी होगी।

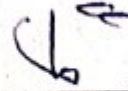

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 151 /उ.सू.आ./ 2025-26

दिनांक : 15/04/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
3. विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
4. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सूचना आयोग।
5. गार्ड फाईल।


(रजा अब्बास)
सचिव